**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4292**

**04 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए**

**'सेल' के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण में फिटमेंट लाभ**

**4292. श्री संजय सिंहः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिनांक 03.08.2017 के का॰ज्ञा॰सं॰ डब्ल्यू/02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII/17 के अनुसार वेतन पुनरीक्षण में 15 प्रतिशत लाभ स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) पर लागू नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि 'सेल' के कर्मचारियों को पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के कर पूर्व औसत लाभ के संदर्भ में हानि हेतु उत्तरदायी माना जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सच्चाई पर विचार करते हुए कि 'सेल' ने लगातार नौ वर्षों (2006-07 से 2014-15) तक लाभ कमाया और इस्पात क्षेत्र में वैश्विक मंदी एवं पाटन तथा बेहद सस्ती कीमत 2015-16 के दौरान हानि के कारण थे, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन की वहनीयता खण्ड में संशोधन न किए जाने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)**

(क): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर-संगठित सुपरवाईजरों के लिए दिनांक 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के संबंध में डीपीई द्वारा दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 18 के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) समेत प्रत्येक सीपीएसई के निदेशक बोर्ड के लिए वेतन संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी भुगतान वहनीयता के आधार पर विचार करना और अनुमोदन हेतु इसे प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, उक्त डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 3 में यह प्रावधान किया गया है कि संशोधित वेतनमान इस शर्त पर लागू किए जाएंगे कि संशोधित वेतन पैकेज को लागू करने के वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पैकेज

लागू होने के वर्ष से पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के औसतन कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख): विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सेल के पीबीटी ब्यौरे निम्नवत् हैं:

| **वित्तीय वर्ष** | **पीबीटी (करोड़ रुपये में)** | **विगत 3 वर्षों के दौरान औसत पीबीटी** |
|---|---|---|
| 2013-14 | 3225 | -475 करोड़ |
| 2014-15 | 2359 | |
| 2015-16 | (-)7008 | |

सेल के संबंध में तीन वर्षों का औसत पीबीटी (डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार) ऋणात्मक है। इसलिए, इस अवस्था में दिनांक 03.08.2017 के डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 3 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार मजदूरी/वेतन संशोधन के लाभ सेल के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किए जा सकते/उन्हें प्रदान नहीं किए जा सकते। कई ऐसे घटक हैं जिन्होंने सेल के कार्य-निष्पादन और इसकी बॉटम लाइन को प्रतिकूल प्रभावित किया है।

(ग): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर-संगठित सुपरवाईजरों के लिए आईडीए पैटर्न अपनाते हुए दिनांक 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के संबंध में डीपीई द्वारा दिनांक 03.08.2017 के दिशा-निर्देश तीसरे वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) और सचिवों की समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर जारी किए गए हैं तथा ये सेल समेत प्रत्येक सीपीएसई के लिए समान रूप से लागू हैं।

*****